समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

228

निगरानी क्रमांक 244- /2017

संगीता पत्नि श्री नाहर सिंह निवासी वर्मामांझ तहसील जतारा जिला टीकमगढ म.प्र. ।

..आवेदक

विरूद्ध

कैलाश घोष तनय नारायणदास घोष ग्राम बर्मामाझ तहसील जतारा जिला टीकमगढ म.प्र.

.......अनावेदक

श्री सुनील सिंह भदौरिया द्वारा आज दि 18-1-17 को प्रस्तुत 18-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ, जिला टीकमगढ के प्रकरण क्र 21/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनाक19.12.2016 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा में आवेदक की ओर से निवेदन निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका का ग्राम वर्मामांझ की भूमि सर्वे क्रमाक 510/1/2 रकवा 2.004 हे. पर वर्ष 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व से कब्जा लगातार फसली कब्जा होने के आधार पर तहसीलदार जतारा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पट्टा बनाये जाने का निवेदन किया गया जिस आवेदन पत्र पर से तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण क्र 61/अ–19/(ब) /2001–2002 दर्ज किया जाकर विधिवत एवं नियमानुसार इश्तहार जारी कर आपत्ति आमंत्रित कर पटवारी हल्का से बिन्दुवार रिपोर्ट लेकर आदेश दिनांक 12.2.2001 से भूमि स्वामी हक प्रदान किया गया उसके बाद से आवेदक का नाम खसरे मे लगातार चला आ रहा था इसी बीच वर्ष 2006–2007 के रोस्टर /अभिलेख मे आवेदक का नाम छूट गया जिस से सुधार करने हेतु आवेदक द्वारा धारा 115–116 के तहत सक्षम अधिकारी नायब तहसीलदार दिगौड़ा तहसील जतारा के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र पर

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर
अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी २५५ / 1 / 2017 जिला–टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
18-1-17	यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ , जिला टीकमगढ के समक्ष प्रकरण क 21 / बी –121 / 16–17 मे प्रचलित कार्यवाही आदेश दिनांक 19.12.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता , 1959 की धारा 50 कें अतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा आवेदक द्धारा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । 3/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका का ग्राम बर्मामांझ की भूमि सर्वे कमाक 510 / 1 / 2 रकवा 2.004 हे. पर वर्ष 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व से कब्जा लगातार फसली कब्जा होने के आधार पर तहसीलदार जतारा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पटटा बनाये जाने का निवेदन किया गया जिस आवेदन पत्र पर से तहसीलदार जतारा द्धारा प्रकरण क 61 / अ–19 / (ब) / 2001–2002 दर्ज किया जाकर विधिवत एंव नियमानुसार इश्तहार जारी कर आपत्ति आमंत्रित कर पटवारी हल्का से विन्दुबार रिपोर्ट लेकर आदेश दिनांक 12.2.2001 से भूमि स्वामी हक प्रदान किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष आदेश अनुमोदनार्थ भेजा गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी जतारा से प्रकरण वापिस प्राप्त होकर आदेश दिनांक 26.2.2001 से आवेदक के पक्ष मे पटटा प्रारूप ग में पटटा जारी कर रिकार्ड में अमल करने के आदेश प्रदान किये गये । उसके	

वाद से आवेदक का नाम खसरे मे लगातार चला आ रहा था इसी बीच वर्ष 2006–2007 के रोस्टर /अभिलेख मे आवेदक का नाम छूट गया जिस से सुधार करने हेतु आवेदक द्वारा धारा 115–116 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत सक्षम अधिकारी नायव तहसीलदार दिगौडा तहसील जतारा के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र पर से प्रकरण क 01/अ–6/2013–14 दर्ज किया जाकर आवेदक का रिकार्ड दुरस्त करने का आदेश दिनांक 09.10.2013 से आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर रिकार्ड दुरस्त किया गया ।

4/ अनावेदक द्वारा द्वेष भावना रखते हुये एक शिकायती आवेदन पत्र अपर कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका ने फर्जी व वनावटी वगैर आदेश के राजस्व अधिकारी से साठ–गांठ करके रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करालिया गया है इसलिये आवेदिका का नाम निरस्त करते हुये रिकार्ड को पूर्वत शासकीय दर्ज किया जावे । अनावेदक के आवेदन पत्र पर से अपर कलेक्टर टीकमगढ ने प्रकरण क 21/स्व0निगरानी/2014–15 दर्ज कर लिया गया एंव सुनवाई प्रारम्भ की गई इसी बीच अनावेदक द्वारा आवेदिका को परेशान करने के उद्धेश्य से एक आवेदन धारा 30 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक को न्याय की उम्मीद नही प्रकरण को अन्यत्र सुनवाई की जावे । अनावेदक के आवेदन पत्र पर से कलेक्टर टीकमगढ ने अपर कलेक्टर की फाइल वुलाकर प्रकरण में अनूचित सुनवाई की जारही है। जवकि इस विन्दु पर कतई ध्यान नही दिया जारहा है कि अनावेदक को आपत्ति करने का अधिकार क्षेत्र है या नही है। इसी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकिया से दुखित होकर आवेदक ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5/ प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यो एंव अधिनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन करने के उपरांत इस बात का स्पस्ट पता चलता है कि अनावेदक आवेदिका से द्वेष भावना पूर्वक अधिनस्थ न्यायालय मे शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदिका को परेशान करना है। जवकि अनावेदक को आवेदिका का पटटा निरस्त करना है तो उक्त पटटा आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता था जो नही किया गया हैं , दूसरी महत्वपूर्ण है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका के वर्ष 2001–2002 मे प्राप्त पटटे के विरूद्ध काफी लम्बे समय वाद 2015 मे जाकर शिकायत प्रस्तुत की गई है जो लगभग 15 वर्ष के वाद प्रस्तुत की गई हैं जवकि आवेदिका द्वारा उक्त भूमि मे काफी श्रम व धन खर्च कर उक्त भूमि को कृषि योग्य वनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र से प्रकरण को स्व0 निगरानी में लेकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई जवकि किसी भी प्रकरण को स्व0 निगरानी में लेना है तो निश्चित समय सीमा के अन्दर कार्यवाही करना चाहिए काफी लम्बे समय के वाद कार्यवाही नही करना चाहिए माननीय वरिष्ठ न्यायालय के कई न्याय सिंद्वात है कि स्व0 निगरानी मे किसी प्रकरण को लेना है तो 180 दिन के भीतर कार्यवाही करना चाहिए काफी समय के वाद कार्यवाही नही करना चाहिए , 2010(4) **M.P.L.J178 , 1996 R.N.137** उक्त न्याय द्वष्टांत से स्पस्ट उल्लेख है जवकि अनावेदक का उक्त भूमि से किसी प्रकार से कोई लोकस्टेंडी नही है। इसलिये आपत्ति करने का कोई अधिकार नही वनता है।

6/ आवेदिका को विधिवत एंव नियमानुसार पटटा प्रदान किया गया है। जिसमें सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत की गई हैं इश्तहार जारी किया गया है, प्रकाशन व आपत्ति आमंत्रित की गई है , कथन लिये गये है व अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन के वाद पटटा प्रदान किया गया है एंव आवेदिका का उक्त भूमि पर 2अक्टूबर 1984 से कव्जा

होकर फसल पैदा की जारही है। आवेदिका का वर्ष 2006–2007 में रिकार्ड में भूल वंश छूट गया था जिसे सुधार हेतु आवेदन पत्र धारा 115–116 के तहत नायव तहसीदार दिगोडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर से नायव तहसीलदार दिगोडा तहसील जतारा द्वारा प्रकरण क 01/अ–6/अ/2013–14 दर्ज कर विधिवत जांच उंपरात आवेदिका का रिकार्ड दुरस्त करने का आदेश दिनांक 09.10.13 से पारित कर रिकार्ड दुरस्त किया गया है। इसलिये आवेदिका का सक्षम अधिनस्थ राजस्व अधिकारी के आदेश से ही रिकार्ड में नाम इन्द्राज किया गया है जो कतई अनुचित नही है। जो उचित है। अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ द्वारा की जारही कार्यवाही उचित एवं न्याय संगत न होने से निरस्त की जाती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष प्रकरण क्र 21/बी–121/2016–17 में प्रचलित समस्त कार्यवाही उचित व न्याय संगत न होने से निरस्त की जाती है। आवेदक की निगरानी गुण दोषो पर स्वीकार की जाती है।

सदस्य